UPHR010059352019

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, (14 वां वित्त आयोग) हरदोई।
सत्र परीक्षण संख्या –301/2019
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वर्षा कुरील
अपराध संख्या–689/2018
धारा– 306 भा०दं०सं०
थाना– कोतवाली शहर, जिला– हरदोई।

दिनांक–18.10.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

1. पत्रावली पेश हुयी। वाद पुकारा गया। अभियुक्ता वर्षा कुरील जरिये विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर कथन किया है कि मुकदमा उपरोक्त के वादी कुलदीप गौरव का साक्ष्य पी०डब्लू० 1 के तौर पर अंकित किया जा चुका है। वादी के साक्ष्य के दौरान मूल तहरीर कागज संख्या 3A/4 सहवन साक्ष्य में साबित होने से रह गयी है। उक्त उक्त मूल तहरीर का साक्ष्य में साबित किया जाना वाद के सम्यक निस्तारण के लिए आवश्यक है। न्यायहित में उक्त साक्षी को साक्ष्य हेतु पुनः तलब किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि वादी मुकदमा कुलदीप गौरव को साक्ष्य में पुनः तलब करने की कृपा की जावे।

2. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

3. **348– आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति–** कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण वा अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साध्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उत्तकी पुनः परीक्षा करेगा।

4. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 कुलदीप गौरव का साक्ष्य अंकित किया जा चुका है, वादी के साक्ष्य के दौरान **मूल तहरीर कागज संख्या 3A/4 सहवन साक्ष्य में साबित होने से रह गयी है।**

5. प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि उभयपक्ष को सुनवायी का समान अवसर प्रदान कर मामले का न्याय–निर्णयन व गुणदोष के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.10.2024, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किये जाने योग्य है।

Digitally signed by Yashpal
Date: 2024.10.18 15:02:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

6. **विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)** की ओर से प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र दिनांकित 18.10.2024, अन्तर्गत धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार** किया जाता है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 कुलदीप गौरव, वास्ते जरिये समन दिनांक 07.11.2024 को तलब हो।

दिनांक–18.10.2024

(यशपाल)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग), हरदोई।